

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT


कार्य का नाम – जोन क्र. 05 क्षेत्रांतर्गत सभी वार्डों एवं उद्यानों में स्थित पावर पंप, पैनल का सामग्री सहित संधारण कार्य।


AS Per Building SOR, Electrical SOR 1.6.20 & NON-SOR Item rate

S.NO	PARTICULAR	QTY	UNIT
	NON SOR ITEM		
1	Repairing of power pump (submersible/Mono block/ Open well pump) Repairing & Rewinding testing etc. Complete Job.		
A	1.0 H.P. - 2 H.P. Power pump		
a	Repairing of motar pump complete.	110	Nos.
b	Repairing of motar complete.	10	Nos.
c	Repairing of Pump complete.	10	Nos.
B	3 H.P. - 5 H.P.		
a	Repairing of motar pump complete.	5	Nos.
b	Repairing of motar complete.	10	Nos.
c	Repairing of Pump complete.	10	Nos.
C	Above 5 H.P.		
a	Repairing of motar pump complete.	4	Nos.
b	Repairing of motar complete.	3	Nos.
c	Repairing of Pump complete.	2	Nos.
2	Maintenance of Power Pump.		
a	Lifting of submersible power pump from tube well (up to 5 HP)	180	Nos.
b	Lifting of submersible power pump from tube well (more than 5 HP)	8	Nos.
c	Lowering of submersible power pump from tube well (upto 5 HP)	180	Nos.
d	Lowering of submersible power pump from tube well (more than 5 HP)	5	Nos.
3	Repairing of Panel.		
A	1 H.P. - 2 H.P.		
a	Repairing of Panel Complete	40	Nos.
b	Replacement of Condensor	10	Nos.
c	Replacement of Coils	10	Nos.
d	Replacement of Relay	10	Nos.
e	Replacement of Switch	10	Nos.
f	Replacement of Indicator	10	Nos.
B	3 H.P. - 10 H.P.		
a	Repairing of Panel Complete	5	Nos.
b	Replacement of Coils	2	Nos.
c	Replacement of Relay	3	Nos.
d	Replacement of Switch	3	Nos.
e	Replacement of Indicator	2	Nos.

4	Providing & Fixxing G.I. Socket 50mm	5	Nos.
5	Providing & Fixxing G.I. Socket 40mm	3	Nos.
6	Providing & Fixxing G.I. Union 50mm	5	Nos.
7	Providing & Fixxing G.I. Union 40mm	5	Nos.
8	Providing & Fixxing G.I. Nipple 50mm	3	Nos.
9	Providing & Fixxing G.I. Nipple 40mm	5	Nos.
10	Providing & Fixxing G.I. Nipple 80mm	2	Nos.
11	Providing & Fixxing G.I. Nipple 100mm	1	Nos.
12	Providing & Fixxing G.I. Flange 80mm	2	Nos.
13	Providing & Fixxing G.I. Flange 100mm	1	Nos.
14	Providing ISI Mark 32 mm dia Black H.D.P.E Roll Pipe with Bottom and Top Socket Assembly Fiting all Complete . <i>As Per Building SOR 01.01.2015)</i>	200.00	meter
15	Providing and laying in trenches G.I. pipes medium class complete with G.I. fittings including excavation of trenches, refilling the same and testing of joints complete:		
a	32 mm nominal bore	50	Mtr
b	40 mm nominal bore	50	Mtr
c	50 mm nominal bore	20	Mtr
	<i>As Per Electrical SOR 01.06.2020,)</i>		
17	Supply, installation, testing and commissioning of 1-3 HP 1 phase submersible motor starter cum control wall/ floor mounted type made out of not less than 1.6 mm thick MS sheet and comprising of following panel mounting switchgears there in including connection inter-connection etc. as per specification. a) Phase indicating lamps with fuses and toggle switches 1 set b) 1/2/3 HP 1 phase DOL starter with over load and no volt relay 1 No c) 25 A "C" curve DPMCB 1 No d) Voltmeter 0-250 V 1 set e) Ammeter 0-10 A 1 set	10	Nos.
18	Supply, installation, testing and commissioning of 5-7.5 HP 3 phase submersible motor starter cum control wall/ floor mounted type made out of not less than 1.6 mm thick MS sheet and comprising of following panel mounting switchgears there in including connection inter-connection etc. as per specification. a) Phase indicating lamps with fuses and toggle switches 1 set b) 5/7.5 HP 3 phase DOL starter with over load and no volt relay 1 No c) 32 A "C" curve TPMCB 1 No d) Voltmeter 0-500 V with selector switch 1 set e) Ammeter 0-10 A with CT's and selector switch 1 se	3	Nos.

	supplying, installation, testing and commissioning of submersible pump set for water supply system with submersible motor directly coupled to multi-stage submersible pump of specified discharge capacity, head, delivery size in existing bore well including 2 sets of suitable size holding clamps made out of 50 mm X 6 mm MS flat, connection with suitable submersible cable of standard length etc. as per specification and IS: 694 (2010). Note: submersible Cable should be rust proof, safe from oil / Grease and under water Chemical / abrasion Resistant		
a	1.0 HP, single phase		
b	1.5 HP, single phase	4	Nos.
c	2.0 HP, single phase	2	Nos.
d	3.0 HP, three phase	1	Nos.
e	5.0 HP, three phase	1	Nos.
20	Supplying, laying and fixing following size submersible cable along with GI/PVC/HDFC pipe line or laid in ground etc as per specification and IS: 694 (2010). Note: Cable should be rust proof, safe from oil / Grease and under water Chemical / abrasion Resistant.		
a	3x2.5 sqmm	500	Mtr
b	3x4.0 sqmm	30	Mtr
c	3x6.0 sqmm	15	Mtr
21	Providing Fixxing & supplying Electrical Cut-outs 63 AMP	10	Nos.
22	Providing Fixxing & supplying Electrical Cut-outs 32 AMP	10	Nos.


Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai(C.G.)


Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G.)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई


जोन-05 क्षेत्रांतर्गत सभी वार्डों एवं उद्यानों में स्थित बोर में लगे पावर पंप एवं पैनल का सामग्री सहित संधारण कार्य।


// नियम एवं शर्तें //


1. पंप हाउस में लगाये गये सभी विद्युत उपकरणों का संधारण कार्य सभी आवश्यक सामग्री/लगने वाले अतिरिक्त पुर्जे सहित एजेंसी को स्वयं के व्यय से करना होगा। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।
2. सभी पावर पंपों एवं पैनल का रखरखाव एवं संधारण कार्य का संधारण पंजी संधारित करना होगा। संधारण पंजी प्रभारी उपअभियंता से पृविष्टी एवं सहायक अभियंता से सत्यापित करना होगा एवं देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा पावर पंप संधारण के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. पावर पंप/अन्य विद्युत उपकरण खराब होने की शिकायत पर संधारण 24 घंटे के समय अवधि में करना आवश्यक होगा। निदान 1100 में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता से संधारण कर कार्यालय को सूचित करना होगा। किसी भी संधारण कार्य के विलंब में रु. 1000.00 प्रति कार्य/प्रति दिवस दंड स्वरूप तक अधिरोपित की जावेगी।
5. पेयजल अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखने अनिवार्य होगा, इसके लिए एजेंसी को समुचित संख्या के अतिरिक्त पावर पंप एवं विद्युत उपकरण सामग्री स्थापन्न के रूप में रखना होगा, ताकि पंप या अन्य सामग्री खराब होने पर पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो।
6. कार्य की अवधि 1 वर्ष की होगी, आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।
7. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी, जिसकी नियम शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगी।
8. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा। शासन के समस्त करों का भुगतान एजेंसी को करना होगा।
9. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा। जी.एस.टी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किये जाने एजेंसी बाध्य होगी।
10. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।


4

11. कार्य के दौरान बोर खुला छोड़ देने की स्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी ।
12. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी ।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा ।
14. प्रत्येक संधारण कार्य का स्पष्ट फोटोग्राफ्स गूगल लोकेशन एवं टाइम स्टैम्प सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
15. जोन के अंतर्गत शिकायत संख्या 02 से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त संधारण गैंग उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है ।
16. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा ।
17. संधारण के दौरान मोटर पंप या अन्य सामग्री बोरवेल में गिर जाने पर अनुबंधित एजेंसी द्वारा उसे निकालकर संधारण करना होगा जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
18. निविदाकार का स्वयं का पावर पंप संधारण संबंधी वर्कशाप अथवा डीलरशीप होना आवश्यक है तथा साथ ही साथ पावर पंप से संबंधित पर्याप्त कार्यानुभव होना अनिवार्य है । प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर प्राथमिकता एवं वरीयता दी जावेगी ।
19. किसी कारण से निर्धारित समय अवधि में कार्य किया जाना संभव नहीं है उस स्थिति में उक्ताशय का प्रमाण पत्र जोन के कार्यपालन अभियंता से देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।
20. किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण एवं संधारण कार्य में 07 दिवस से अधिक विलंब अथवा नियम शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती ।


उप अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई